न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 जैन

सदस्य

प्रकरण कमांक I/अपील/सागर/आ0अ./2017/6135 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2017 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर प्र0क0 5(1)2017–18/5384.

मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला रायसेन म.प्र. .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1 आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
2 उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, सागर
3 सहायक आबकारी आयुक्त जिला सागर
4 जिला आबकारी अधिकारी, सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन म0प्र0

.......प्रत्यर्थीगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24.4.2019को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा 2 (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड को कार्यालयीन पत्र कमांक 5(1)/2013–14/518 दिनांक

22-2-2014 के द्वारा देशी मदिरा प्रदाय हेतु वर्ष 2014-15 के लिये प्रदाय क्षेत्र सागर स्वीकृत किया गया था। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर के पत्र कमांक/स्टेनो/2015/1567 दिनांक 20-10-2015 के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि जिला सागर के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में विगत 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह अवधि माह अप्रेल 2014 से माह मार्च 2015 तक नहीं रखा गया है। इसी प्रकार मद्यभण्डागार खुरई में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 एवं मद्यभण्डागार रहली में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक बोतल बन्द देशी मदिरा का संग्रह न्यूनतम स्कंध से नहीं रखा गया है। उक्त पत्र के आधार पर अपीलार्थी ईकाई को कार्यालय के पत्र कमांक 5(1)/2015-16/92 दिनांक 08-1-2016 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी ईकाई द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 13-10-2017 को आदेश पारित कर मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) व सी.एस.1 लायसेंस की शर्त कमांक 3 का उल्लंघन पाते हुये रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही स्टोरेज मद्यभाण्डागार सागर, खुरई एवं रहली में माह अप्रैल 2014 से माह मार्च 2015 तक की अवधि में कुल 50 दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने से रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 12,500/- इस प्रकार कुल रूपये 27500/- की शास्ति आरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है। अपीलार्थी इकाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

समक्ष कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर बताया गया था कि मद्यभण्डारगार में माह अप्रेल में मांग के बराबर मदिरा का संग्रह रखा गया है और मॉग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मदिरा भेजी गई है। अपीलार्थी इकाई द्वारा यह भी तर्क किया यह सही है उसके द्वारा 5 दिनों का न्यूनतम स्कंध रखने में असमर्थ रहा। किन्तु उससे शासन को हानि नहीं हुई। अपीलार्थी इकाई द्वारा जबाव प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया था कि मॉग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ठेकेदारों को मदिरा उपलब्ध कराई गई है, और ठेकेदारों को कोई परेशानी नहीं होने दी गई है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाव पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी इकाई द्वारा शर्तो का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है और शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये अपीलार्थी इकाई पर अधिरोपित शास्ति अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलार्थी ईकाई द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध संग्रह कम रखा गया है, जिस कारण चालान लंबित रहने के कारण शासन को हानि हुई है। अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी ईकाई पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये आबकारी आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड को कार्यालयीन पत्र कमांक 5(1)/2013–14/518 दिनांक 22–2–2014 के द्वारा देशी मदिरा प्रदाय हेतु वर्ष 2014–15 के लिये प्रदाय क्षेत्र सागर स्वीकृत किया गया था। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर के पत्र कमांक/स्टेनो/2015/1567 दिनांक 20–10–2015 के माध्यम से आबकारी आयुक्त को अवगत कराया गया कि जिला सागर के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों में विगत 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह अवधि माह अप्रेल 2014 से

317

24.6.19

3

माह मार्च 2015 तक नहीं रखा गया है। इसी प्रकार मद्यभण्डागार खुरई में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 एवं मद्यमण्डागार रहली में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक बोतल बन्द देशी मदिरा का संग्रह न्यूनतम स्कंध से नहीं रखा गया है। उक्त पत्र के आधार पर अपीलार्थी ईकाई को कार्यालय के पत्र कमांक 5(1)/2015–16/92 दिनांक 08–1–2016 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी ईकाई से कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब प्राप्त करने के उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 13–10–2017 को आदेश पारित कर मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) व सी.एस.1 लायसेंस की शर्त कमांक 3 का उल्लंघन पाते हुये रूपये 15,000/– शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही स्टोरेज मद्यमाण्डागार सागर, खुरई एवं रहली में माह अप्रैल 2014 से माह मार्च 2015 तक की अवधि में कुल 50 दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने से रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 12,500/– इस प्रकार कुल रूपये 27500/– की शास्ति आरोपित की गई। स्पष्ट है अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तो का उल्लघंन किया गया है वहीं म0प्र0देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लघंन किया गया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है। जहॉ नियम 4(4) का उल्लघंन है वहॉ नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है, अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है।

इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्को में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि इकाई द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहॉ अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। मान0

417

24.4.19

3

उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मै0 सोम डिस्टिलरीज व अन्य डिस्टिलरीज (कुल 27) के विरूद्ध म0प्र0 शासन से सम्बधित याचिकाओं का दिनांक 30–11–2018 को एक साथ निराकरण कर पृष्ठ 10, 11 व 12 पर निम्नानुसार observation दिया है–

Rule 4(4) of Spirit Rules, 1995 reads as under:

4 Manufacture and Bottling –

(4) (a)The licensee shall maintain at each "bottling unit" a minimum stock of bottled liquor and rectified spirit equivalent to average issues of five and seven days respectively of the preceding month. In addition, he shall maintain at each "storage warehouse" a minimum stock of bottled liquor equivalent to average issue of five days of the preceding month;

provided that in special circumstance, the Excise Commissioner may reduce the above requirement of maintenance of minimum stock of rectified spirit and/or sealed bottles in respect of any "bottling unit" or "storage warehouse."

As per the provisions of Rule 4(4) of Sprit Rules, 1995, the licensee is under obligation to maintain the minimum stock of bottled liquor equivalent to average issues of five days of the preceding month. The basic purpose of maintaining the minimum stock of spirit in the storage warehouse is to supply the spirit in case of additional demand. Thus, for maintaining the balance between the demand and supply, the licensee is required to maintain the minimum stock in the storage warehouse, so that in case of non-supply of liquor to meet the higher demand of spirit/liquor, the spurious spirit is not sold in the market. Thus, the basic purpose of maintaining the minimum stock in the storage warehouse is to deal with every/urgent situation and that is why, no fixed minimum quantity has been prescribed under the Rules, but it fluctuates in accordance with the average issues if five dates of the preceding month. My view is fortified by the judgment passed by the Delhi High Court in the case of union of India Vs. Central Distillery and Breweries Ltd. reported in (2002) 98 DLT 275 which reads as under :

5/7

21-6-19

> "33. The purpose for which the minimum stock is required to be kept is not in dispute i.e., to avoid use of spurious liquor. The purpose and object to make such rules is thus in public interest."

"Thus, the maintenance of minimum stock in the storage warehouse equivalent to average issues of five days of the preceding month is mandatory and the petitioner cannot get away form the liability of Maintaning minimum stock in the storage warehouse, on the ground that non-maintenance of mininmum stock had not effected the State adversely."

मान0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ 13 पर यह निष्कर्ष निकाला है–

"Thus, it is clear that it has not been disupted by the petitioner himself that it had not maintained the minimum stock as required under Rule 4(4) of the Rules, but its stand was that due to non-maintenance of minimum stock, no financial loss was caused to the State. In absence of any dispute with regard to the allegation of non-maintenance of minimum stock by the petitioner, it is held that the petitioner had failed to maintain the minimum stock as required under Rule 4(4) of the Spirit Rules, 1995.

मान0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ 21 पर यह निष्कर्ष निकाला है–

"Thus, it is clear that where the petitioner is well aware of the provisions of law governing and regulation the business of liquor or was aware of the terms of auction then the bidder cannot wriggle out of the contractual oblilgations.

मान0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ 24 पर यह निष्कर्ष निकाला है–

"Thus it is clear that when the petitioner has participated in an auction and has obtained license to supply country liquor, then he cannot avoid either the provisions regulating the trade in liquor or cannot avoid the terms and conditions of license or auction.

मान0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पृष्ठ 25 पर यह निष्कर्ष निकाला है–

From the plain reading of Rule 12 of the Spirit Rules, 1995 it is crystal clear that the penalty is imposable on breach or contravention of any of these rules or

the provisions of M.P. Excise Act. Thus is it clear that penalty under Rule 12 of the Spirit Rules, 1995 is not imposed for the loss sustained by the State.

उपरोक्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि एक्साईज एक्ट के प्रावधानों का उद्देश्य दुषित शराब का बाजार में जाने से रोकना है। इस प्रकरण में अपीलार्थी इकाई द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा न्यूनतम संग्रह नहीं रखा है ऐसी स्थिति अधिनियम तथा नियमों में उल्लिखित आज्ञापक प्रावधानों एवं लायसेंस की *शर्तों का उल्लंघन किये जाने से अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित की गई है जो* उचित कार्यवाही है। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी संबंधी में आदेश पारित इस निष्कर्ष को उचित माना है। दर्शित परिस्थितियों में इस प्रकरण में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–10–2017 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।

24.4.19

(आर0के0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर